

सा.का.नि. (अ) -- केंद्रीय सरकार, वित्त (सं0 2) अधिनियम, 2004 (2004 का 23) की धारा 91 और धारा 94 के साथ पठित सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 13/2012-सीमाशुल्क, तारीख 17 मार्च, 2012 में, जो भारत के राजपत्र, असाधारण में, सा.का.नि. सं0 186 (अ) तारीख 17 मार्च, 2012 द्वारा प्रकाशित की गई थी, निम्नलिखित संशोधन करती है,

उक्त अधिसूचना में निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

"परंतु भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 69/2004-सीमाशुल्क, तारीख 9 जुलाई, 2004, जो भारत के राजपत्र, असाधारण में, सा.का.नि. सं0 411 (अ) तारीख 9 जुलाई, 2004 द्वारा प्रकाशित की गई थी, की सारणी के स्तंभ (2) के अधीन आने वाले निम्नलिखित माल को छूट लागू नहीं होगी, अर्थात् :--

- (i) शीर्ष, उपशीर्ष या टैरिफ मद, 3818, 8469 00 10, 8470, 8471, 8473 21 00, 8473 29 00, 8473 50 00 में विनिर्दिष्ट मद ;
- (ii) शीर्ष 8517 के लाइन टेलिफोन सैट और लाइन वीडियोफोन ;
- (iii) टैरिफ मद 8519 50 00 में विनिर्दिष्ट माल ;
- (iv) शीर्ष 8523 के अध्याय 37 के उत्पादों से भिन्न (चुंबकीय पट्टी समावेशित करने वाले कार्डों को छोड़कर) ध्वनि अभिलेखन या अन्य परिघटना के समरूप अभिलेखन के लिए तैयार सभी अनाभिलिखित मीडिया ;
- (v) शीर्ष 8523 की ध्वनि या चित्र से भिन्न परिघटनाओं के प्रत्युत्पादन के लिए अभिलिखित मीडिया ;
- (vi) शीर्ष, उपशीर्ष या टैरिफ मद, 8531 20, 8532, 8533, 8534 00 00, 8541 में विनिर्दिष्ट माल ;
- (vii) इलेक्ट्रॉनिक एकीकृत परिपथों के हिस्से पुर्जे और टैरिफ मद 8523 52 या 8542 90 00 की माइक्रो समुच्ययन ;

- (viii) शीर्ष, उपशीर्ष या टैरिफ मद 8543 70 11, 9013 80 10, 9013 90 10, 9026, 9027 20 00, 9027 30, 9027 50, 9027 80 (उद्घाष मापी के सिवाय), 9030 40 00, 9030 82 00 में विनिर्दिष्ट माल ;
- (ix) उक्त सारणी के क्रम सं. 11 से 12क, 17 से 44, 47 से 50 और 54 में विनिर्दिष्ट माल ।" ।

[फा.सं. 334/15/2014-टीआरयू]

(प्रमोद कुमार)
अवर सचिव, भारत सरकार

टिप्पण: मूल अधिसूचना सं. 13/2012-सीमाशुल्क तारीख 17 मार्च, 2012 भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में सा.का.नि 186(अ), तारीख 17 मार्च, द्वारा प्रकाशित की गई थी ।